


क्रमांक : 842

दिनांक : 08-11-2017

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत स्वघोषणाएँ

- (1) राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर में स्नातक स्तर का शैक्षणिक कार्य संचालित किया जाता है | राज्य सरकार द्वारा स्थापित यह राजकीय महाविद्यालय है तथा वर्तमान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त है | महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पाठ्यक्रम संचालित है | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्याख्याताओं द्वारा यूजीसी मानदंड के अनुसार अध्यापन कार्य करवाया जाता है | नैक द्वारा B ग्रेड प्राप्त हुआ हो तथा यूजीसी से मान्यता प्राप्त है |
- (2) राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों की अनुपालना में शक्तियाँ और कर्तव्य
प्राचार्य - कार्यालयाध्यक्ष एवं लोक सूचना अधिकारी
उपाचार्य - राजपत्रित अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी
व्याख्याता - राजपत्रित अधिकारी एवं प्राध्यापक
प्रयोगशाला सहायक - अराजपत्रित शैक्षणिक कर्मचारी
मंत्रालयिक स्टाफ - अराजपत्रित कार्य
सहायक कर्मचारी - अराजपत्रित प्रदत्त कार्य
- (3) विधार्थी उपस्थिति पंजिकाओं का संधारण तथा वार्षिक परिक्षा में सम्मिलित होने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य व यूजीसी मानदंडानुसार निर्धारित साप्ताहिक कालांश |
- (4) अध्यापन समय सारिणी (Time-Table)
- (5) विभाग / शाखाएं -
 1. अकादमी शाखा - अंकतालिका, उपाधि(डिग्री), प्रवेश फार्म, टी.सी./सी.सी. एवं परिचय पत्र
 2. लेखा शाखा - विभागीय संवेतन बिल, जीपीएफ/ एस.आई. रजिस्टर रिकॉर्ड, टेंडर बिल फाइल तथा कोष कार्यालय बिल
 3. रोकड़ शाखा - नकद, नकद बुक पोस्टिंग, वाउचर एवं बैंक चेक लेन-देन इत्यादि
 4. स्थापना शाखा - सेवा पुस्तिका संधारण, अवकाश रिकॉर्ड, ओरियंटेशन/ रिफ्रेशर कोर्स, प्रमोशन सेवानिवृत्ति एवं आदेश फाइल संधारण
 5. आयोजना शाखा - भूमि एवं भवन निर्माण व रखरखाव, महाविद्यालय सुविधाएँ, प्रयोगशालाएं तथा आधारभूत सुविधाएँ इत्यादि
- (6) राजस्थान सेवा नियम सामान्य वित्तीय एवं लेखांकन नियमों के तहत राज्य सरकार समय - समय पर जारी परिपत्र, अधिसूचनाएँ, दिशा-निर्देश एवं अन्य पत्र व्यवहार, पोस्टिंग रजिस्टर, टेंडर फाइल, ऑडिट रिकॉर्ड एवं पत्रावलियाँ
- (7) एम. बी.सी. राजकीय कन्या महाविद्यालय विकास समिति बाड़मेर के नाम से संस्था पंजीकृत एवं संचालित है | प्राचार्य पदेन अध्यक्ष तथा कॉलेज के व्याख्याता, छात्र प्रतिनिधि, प्रशासन प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि

- एम.एल.ए./ एम.पी./नगर परिषद अध्यक्ष/ जिला प्रमुख/ यूआईटी चेयरपर्सन तथा वरिष्ठ नागरिक व महाविद्यालय मेधावी छात्र तथा छात्राएँ | इनमें महाविद्यालय विकास सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करना व वित्त सम्बन्धी स्रोतों से वित्त व्यवस्था करना |
- (8) युवा विकास केंद्र, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ, उधमिता प्रकोष्ठ, आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ |
- (9) कॉलेज प्रवेश द्वार कर्मचारी/अधिकारी नाम, पद, विषय, पद रिक्तता, अवकाश सम्बन्धी जानकारी |
- (10) राज्य सरकार एवं यूजीसी वेतनमान - प्रारम्भिक, वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान (राजस्थान राज्य सेवा वित्तीय परिलाभों के अंतर्गत)
- (11) राजस्थान राज्य वित्त विभाग एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के बजट परिपत्र
1. बजट
 2. वेतन
 3. टी.ए./डी.ए.
 4. कार्यालय व्यय
 5. यूजीसी बजट
 6. पुस्तकालय बजट
 7. प्रयोगशाला बजट
 8. कार्यालय फर्नीचर
 9. युवा विकास एवं उधमिता बजट
 10. एस.सी./एस.टी. छात्रा बजट
- (12) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) प्राप्त विशेष बजट - इसमें भवन निर्माण/ रखरखाव/ मरम्मत/प्रयोगशाला उपकरण और पुस्तकालय हेतु पुस्तकें इत्यादि |
- (13) छात्रवृत्ति योजनाएँ - 1 मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2 एस.सी./एस.टी. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 3 दिव्यांग विशेष सहायता योजना 4 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 5 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना
- (14) एम.बी.सी. राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर का वेबपोर्टल - dce.rajasthan.gov.in पर महाविद्यालय का लिंक उपलब्ध |
- (15) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन की तय सीमा के अन्दर प्रावधानों के अनुसार डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपलब्ध करवाना |
- (16) लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम, पद नाम एवं कार्यक्षेत्र की सूचना खुले स्थान पर सूचना पट्ट पर लगा दी गई है |
- (17) महाविद्यालय से सम्बंधित विस्तृत सूचना विवरणिका - प्रवेश नियम, शुल्क विवरण, छात्रवृत्ति, प्रवेश नियम, खेलकूद गतिविधियाँ, आंतरिक जाँच, उपस्थिति, छात्रसंघ गतिविधियाँ, पुस्तकालय सदस्य एवं अन्य साहित्यिक गतिविधियों का संचालन |


प्राचार्य

एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय
बाड़मेर